

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 19 06 2019 (अप्रैल से जून 2019) को आयोजित बैठक का कार्यवृत

पोसोको कार्यालय में दिनांक 19 जून, 2019 को प्रातः 10 बजे राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक श्री के वी एस बाबा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई जिसमें पोसोको कार्यालय व राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र के निम्नलिखित अधिकारियों ने भाग लिया ।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य

श्री के वी एस बाबा, अध्यक्ष

श्रीमती मीनक्षी डावर, सदस्य

श्री पी के अग्रवाल, सदस्य

श्री रंजन कुमार श्रीवास्तव, सदस्य

श्री एस आर नरसिंहन, सदस्य

श्री निशदीप सिंह, सदस्य


श्री हरीश राठौर, सदस्य

श्री अनिल मेहता, नोडल अधिकारी(राजभाषा)

नोडल अधिकारी(राजभाषा) ने सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय व सभी सदस्यों का राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में पधारने पर हार्दिक स्वागत किया । अध्यक्ष महोदय ने गत बैठक की समीक्षा की और गत तिमाही की समीक्षा करने के उपरांत सभी विभागों को राजभाषा हिन्दी को बढ़ावा देने के और अधिक कार्य राजभाषा में करने के लिए प्रोत्साहित किया व कार्यालय के विभिन्न विभागों में हिन्दी की प्रगति हेतु कार्मिकों के प्रयासों को जानने के पश्चात निम्नलिखित निर्णय लिए : -

- 1.0 26 जून 2019 को नराकास के तत्वाधन में हिन्दी कार्यशाला आयोजित करने हेतु अपना अनुमोदन प्रदान किया व इस दिन पोसोको की गृह पत्रिका ग्रिड संचालिका के छठे अंक का विमोचन करने हेतु भी अपनी सहमति प्रदान की ।
- 2.0 मुमेंटों के रूप में सभी निगमों के प्रतिनिधियों को हिन्दी कार्यशाला अंकित कप देने हेतु अपना अनुमोदन प्रदान किया ।
- 3.0 2019-20 के राजभाषा के "क" क्षेत्र के वार्षिक लक्ष्यों को पूरा करने हेतु सभी विभागों को दिशा निर्देश दिए व सभी विभागाध्यक्षों से अनुरोध किया कि वे अपने विभाग के कार्मिकों को राजभाषा हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करें जिससे वार्षिक लक्ष्यों को पूरा किया जा सके ।
- 4.0 प्रत्येक विभाग राजभाषा हिन्दी की मास्टर फ़ाइल बनाए जिससे किसी भी राजभाषा संबंधी निरीक्षण के समय उसे निरीक्षणकर्ता को दिखाया जा सके ।
- 5.0 वित्त विभाग में जमा करने वाले सभी दावों को हिन्दी में ही भरे जाने के बाद स्वीकृत दी जाए ।

अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।



(अनिल मेहता)

वरिष्ठ कार्यपालक सचिव एवं नोडल अधिकारी (राजभाषा)

दिनांक 20 जून 2019

अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है ।

वरिष्ठ महाप्रबंधक(मानव संसाधन)

तथा (भा सं) श्री लाला २०/६/१९
- २८/६